तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/12/24	पत्रावली पेश हुई। अ०प्रा० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul सहायक कलेक्टर उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 08 / 2017

1. सन्तादेवी पत्नी मांगीलाल जाति जाटव निवासी सहना तहसील उच्चैन।
2. मांगीलाल पुत्र मेडु जाति जाटव निवासी सहना तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवत पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी सहना तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—27.12.2024**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण की कब्जे कास्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 167 / 1 / 1.10, 910 / 180 / 2 / 2.00 वाके ग्राम सहना तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का रकवा करीब 48 बीघा था लेकिन न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के आदेश अनुसार हम प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बरान मिले थे तथा उक्त आदेश की पालना में शेष आराजी से हम प्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जा चुका था तथा उक्त आदेश की पालना में नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा मौके पर पहुंच मुताविक आदेश पैमाइश कर कब्जा पक्षकार को सौप दिया था। बाद में अप्रार्थी ने जबरन उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया तथा जब मैने अप्रार्थी द्वारा किये गये कब्जे के विषय में कहा तो कब्जा हटाने से साफ मना कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया श्रीमान कलक्टर महोदय ने नायब तहसीलदार उच्चैन को पैमाइश कर एसीएम उच्चैन के आदेश की पालना बाबत् निर्देश दिये तथा नायब तहसीलदार उच्चैन उक्त आदेश की पालना हेतु दिनांक 14.08.2013 को मौके पर पहुंचे तथा उक्त आराजी की पैमाइश कर निशानात कायम किये तथा वाद पैमाइश जब कब्जा हटाने को कहा तो झगडा करने पर उतारू हो गया। उसके वाद प्रार्थीगण ने कई प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार उच्चैन के कब्जा हटवाने बावत् पेश किये लेकिन अप्रार्थी मौखिक रूप से अगली फसल के वहाने के आधार पर समय लेता रहा लेकिन कब्जा नहीं हटाया। जब प्रार्थीगण

Rahul Srivastava
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

दिनांक 10.10.2016 को अपनी आराजी को जोतने बोने के लिये मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थी ने साफ तौर पर कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया एवं आराजी को किसी अन्य लठैत व्यक्ति को सुपुर्द करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद प्रोपर तामील अदालत में हाजिर नहीं हुआ जिसके कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया एवं अप्रार्थी को मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगण को उसके हिस्से की आराजी से बेदख लना करने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ पेश राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपुर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के हक में जाहिर होते है।

अतः आदेश है:—

अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 167/1/1.10, 910/180/2/2.00 वाके ग्राम सहना तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर